न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
नरेन्द्रकुमार पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्रहमण निवासी नोवी तह0 सुमेरपुर जिला पाली	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 70/2024

दिनांक 22.12.2024

–:आदेश:–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा रोवाडा पटवार हल्का रोवाडा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं0 242/5, 242/6 रकबा क्रमशः 0.4613, 0.6394 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1007 हैक्टयर व खसरा नं0 235 रकबा 0.4047 हैक्टयर है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत नाम नरेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेन्द्रकुमार पुत्र चुन्नीलाल है। राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इंद्राज हो जाने के कारण प्रार्थी को परेशानियों से गुजरना पडता है। प्रार्थी के 12 वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड वगैरह में प्रार्थी का नाम नरेन्द्रकुमार पुत्र चुन्नीलाल ही दर्ज है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 22.12.2024 को जवाब पेश कर अवगत कराया कि मौजा रोवाडा के वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम नरेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल दर्ज ही किया हुआ है। उक्त प्रकरण के संबंध में उभय पक्ष की दिनांक 22.12.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश नरेश कुमार इंद्राज हो गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों में सही नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल ही दर्ज है।

पत्रावली आज दिनांक 22.12.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज में पेश हुई जिसमें दोनों पक्षकारान की आपसी राजीनामा से तहसीलदार शिवगंज द्वारा नाम शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, शपथपत्र व बयान एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया। लोक अदालत में आपसी राजीनामा, दस्तोवजी साक्ष्य एंव तहसीलदार शिवगंज की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, प्ररतुत शपथपत्र /बयान व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा रोवाडा** पटवार हल्का रोवाडा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज के **खसरा नंम्बर 242/5, 242/6 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1007 हैक्टयर** व **खसरा नं0 235 रकबा 0.4047 हैक्टयर** में दर्ज नाम नरेशकुमार पुत्र चुन्नीलाल के स्थान पर **''नरेन्द्र कुमार पुत्र चुन्नीलाल''** नाम दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2024 को रा0 लोक अदालत कैम्प शिवगंज में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:51 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र, R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एल.आर.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
दिनाक 22.12.2024

क्रमांकः–कोर्ट/2024/656
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एल.आर.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)